

सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों हेतु सूचनार्थ

मेडिकल बीमा विभाग,  
प्रधान कार्यालय, बड़ौदा द्वारा जारी

महोदया / महोदय

विषय : आईबीए की चिकित्सा बीमा योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों हेतु समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण: 2022-23- योजना में फिर से शामिल होने के लिए छूटे हुए लोगों के लिए एक विस्तारित खिड़की का प्रावधान।

कृपया हमारे नोटिस नंबर एचओ: एचआरएम: 114: 3690 दिनांक 30/09/2022 का संज्ञान लें, जिनके द्वारा मेसर्स नैशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई प्रीमियम दरों के बारे में सूचित करते हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों / सेवानिवृत्त / मृत कर्मचारियों के जीवनसाथी के लिए आईबीए प्रशासित चिकित्सा बीमा योजना के नवीनीकरण दिनांक के लिए 01.11.2022 से 31.10.2023 तक की अवधि हेतु।

अब, हमें मेसर्स नैशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से दिनांक 01/11/2022 का एक संचार प्राप्त हुआ है। नैशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने सूचित किया है कि, वे छूटे हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों/सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों के जीवनसाथी को योजना में फिर से शामिल होने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन एक अतिरिक्त मौका प्रदान कर रहे हैं:

1. यह एक ही बार किया जाने वाला अभ्यास है और पॉलिसी अवधि के दौरान किसी और एक्सटेंशन या समान विंडो की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. सेवानिवृत्त लोगों के लिए जो पहले से ही आईबीए रिटायर जीएचआई पॉलिसी के तहत अब तक कवर किए गए थे, लेकिन विभिन्न कारणों से समय पर नवीनीकरण पॉलिसी में शामिल नहीं हो सके, उन्हें योजना में नामांकन के लिए इस विंडो का उपयोग करने की अनुमति है। हालांकि ब्रेक अवधि के दौरान किसी भी उपचार/दावे को कवर से बाहर रखा जाएगा।
3. विस्तार अवधि के दौरान नामांकन करने वाले सदस्यों के लिए कवरेज 01/12/2022 से या प्रीमियम प्राप्त होने पर, जो भी बाद में हो, से शुरू होगा।
4. चूंकि यह एक वैकल्पिक अभ्यास है, जो बैंकों के अनुरोध पर छूटे हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों/सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों की पत्नी/पति को दिया जाता है और केवल उनकी सुविधा के लिए है, प्रीमियम में कोई आनुपातिक कमी नहीं हो सकती है और यह केवल (वार्षिक) प्रीमियम होगा।

पॉलिसी के नवीनीकरण के लिए निर्देश:

ए. वे सभी जो इस विस्तारित विंडो के माध्यम से पॉलिसी 2022-23 में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें 28 नवंबर 2022 तक एचआरकनेक्ट के माध्यम से अपने विकल्प ऑनलाइन जमा करने चाहिए।

<https://hrconnect.bankofbaroda.co.in> ----> 'Medical Insurance' टाइल.

(मेनू स्वतः स्पष्ट है.)

अपने यूजर आईडी का उपयोग करके लॉगिन करें (उदाहरणार्थ:- यदि सेवानिवृत्त स्टाफ का नाम राम मोहन है और कर्मचारी कूट संख्या 1234 है तो यूजर आईडी RM001234 होगी)

नोट: - कर्मचारी कूट संख्या छह अंकों का होना अनिवार्य है.

पंजीकृत मोबाइल नंबर / ईमेल आईडी पर एक ओटीपी प्राप्त होगा जो एचआरकनेक्ट से जुड़ा हुआ है .

**बी.** इस विस्तारित बिंडो के अनुसार केवल ऑनलाइन विकल्प ही स्वीकार किए जाते हैं। (कोई ऑटो नवीनीकरण नहीं होगा)।

**सी.** वे सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी/सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों के पति/पत्नी, जो पॉलिसी 2022-23 में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी एचआर कनेक्ट और पेंशन भुगतान खाते/प्रीमियम भुगतान खाते में पंजीकृत है।

**डी.** यह भी सुनिश्चित करें कि केवाईसी गैर-अनुपालन के लिए पेंशन भुगतान खाता / प्रीमियम भुगतान खाता फ्रीज नहीं है।

**ई.** ऑनलाइन विकल्प का चयन करते समय प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण:

ए. पत्नी/ पति (नाम एवं जन्म तारीख), (फैमिली फ्लोटर के लिए अपेक्षित)

बी. खाता संख्या और शाखा का आईएफएससी कोड.

सी. ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नंबर.

डी. पत्राचार के लिए जिला, राज्य एवं पिन कोड सहित पूरा पता.

ई. सही विकल्प का चयन करें.

**फ.** प्रयोग किए गए विकल्प के अनुसार, प्रीमियम 29 नवंबर 2022 को उनके खाते से डेबिट कर दिया जाएगा, जो उनके द्वारा विकल्प जमा करने के समय प्रदान किया जाएगा। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि दिए गए खाते में पर्याप्त शेष राशि रखी जाए।

**जी.** ऑनलाइन जमा किए गए विकल्पों को प्रीमियम राशि के लिए खाते से डेबिट करने का अधिकार माना जाएगा।

**एच.** एक बार विकल्प का ऑनलाइन प्रयोग करने के बाद, 28 नवंबर 2022 के बाद किसी और परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

**आइ.** एक बार प्रीमियम डेबिट हो जाने के बाद, विकल्प में कोई बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।

**जे.** कृपया ध्यान दें कि नवीनीकरण विकल्प की कोई मूलप्रति प्रधान कार्यालय या किसी अन्य शाखा/कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

यदि आपके खाते में 29 नवंबर 2022 को पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं है, तो यह माना जाएगा कि आप उपरोक्त चिकित्सा बीमा पॉलिसी में शामिल की रुचि नहीं रखते हैं और तदनुसार पॉलिसी का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।

यह प्रीमियम राशि डेबिट करने के लिए पर्याप्त शेष राशि के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा बीमा ऑप्टी की जिम्मेदारी है।

किसी और स्पष्टीकरण के लिए कृपया इस पर ईमेल करें: [medicalinsurance.ho@bankofbaroda.com](mailto:medicalinsurance.ho@bankofbaroda.com)

हस्ता/-

(स्वप्रा बंदोपाध्याय)

महाप्रबंधक (एचआरएम)



प्रति: 1. भारत में सभी शाखाओं/कार्यालयों को सूचनार्थ इस अनुरोध के साथ कि सभी सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्यों के लाभ के लिए इस नोटिस की एक प्रति अपने नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करें।

2. सभी शाखा प्रमुखों को सलाह दी जाती है कि वे इस विस्तारित अवधि के दौरान भी योजना कोड एलए 664 के तहत अपनी चिकित्सा बीमा पॉलिसी नवीनीकरण प्रीमियम के भुगतान में मदद करने के लिए अनुबंध-बी के अनुसार "बीओबी स्टाफ पेंशनरों को विशेष व्यक्तिगत ऋण" प्रदान करें।

नोट: किसी भी शाखा/कार्यालय में विकल्प फॉर्म की कोई हार्डकॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी।

हस्ता/-

(स्वप्रा बंदोपाध्याय)

महाप्रबंधक (एचआरएम)



प्रधान कार्यालय : मा.सं.प्र. - छाता तल, "बड़ौदा भवन", आर.सी.दत्त रोड, अलकापुरी, बड़ौदा-390007. गुजरात. (भारत).

Head Office : HRM - 6<sup>th</sup> Floor, "Baroda Bhavan", R. C. Dutt Road, Alkapuri, Baroda - 390007. Gujarat (INDIA).

ई-मेल/E-mail : [hrm.ho@bankofbaroda.com](mailto:hrm.ho@bankofbaroda.com), वेबसाइट/Website : [www.bankofbaroda.com](http://www.bankofbaroda.com)

HO: HRM:114: 4026

03.11.2022

**NOTICE TO ALL RETIRED EMPLOYEES**

*Issued by  
Medical Insurance Department, Head Office, Baroda*

Madam / Sir,

**Re: Renewal of Group Health Insurance Policy for Retired Employees under IBA Medical Insurance Scheme 2022 - 2023 - Provision of an extended window for left out to re-join the Scheme.**

Attention is invited to our Notice No.HO:HRM:114:3690 dated 30/09/2022 informing about the Premium Rates provided by M/s. National Insurance Co. Ltd. for Renewal of IBA administered Medical Insurance Scheme for Retired Employees / Spouse of Retired / Deceased Employees for the period from 01.11.2022 to 31.10.2023.

Now, we have received a communication dated 01/11/2022 from M/s. National Insurance Co. Ltd. informing that, they are providing an Extended Window for left out Retired Employees / Spouse of Retired / Deceased Employees to re-join the scheme, subject to the following conditions:

1. This is a One Time Exercise and no more extensions or similar window will be allowed during the policy period.
2. For the retirees who were already covered under IBA Retiree GHI Policy till now, but could not join in the renewal policy on time for various reasons, are allowed to use this window to enroll into the scheme. However any treatment / claim during the break period will be excluded from the cover.
3. The coverage for the members enrolling during the extension period will commence w.e.f 01/12/2022 or on receipt of premium, whichever is later.
4. Since it is an optional exercise which is offered to those left out Retired Employees / Spouse of Retired / Deceased Employees on the request from Banks and is only to facilitate them, there can be NO Pro-rata reduction in premium and it will only be Annual (Yearly) premium.

Instructions for Renewal of the Policy:



- a) All those who wish to join the policy 2022-23 through this extended window should submit their **OPTIONS ONLINE through HRConnect latest by 28<sup>th</sup> November 2022.**

<https://hrconnect.bankofbaroda.co.in> —> 'Medical Insurance' Tile  
(The menu is self-explanatory)

Login by using your User Id, (Example: - Retiree Name is Ram Mohan and EC No. is 1234, then User Id is RM001234)

Note: - EC No. must consist of Six Numeric Digit.

An OTP will be received on registered Mobile Number / Email Id (Any one will be sufficient), which is linked with HRConnect.


   
प्रधान कार्यालय : मा.सं.प्र. - छठा तल, "बड़ौदा भवन", आर.सी.दत्त रोड, अलकापुरी, बड़ौदा-390007. गुजरात. (भारत).  
Head Office : HRM - 6<sup>th</sup> Floor, "Baroda Bhavan", R. C. Dutt Road, Aikapuri, Baroda - 390007. Gujarat (INDIA).  
ई-मेल / E-mail : hrm.hr@bankofbaroda.com, वेबसाइट / Website : www.bankofbaroda.com

- b) As per this extended window online options are only accepted. (There won't be any auto renewal).
- c) All those retired employees / spouse of retired / deceased employees, who wish to join the policy 2022-23, must ensure that, his / her Mobile Number/ Email Id is registered in HR Connect & Pension paying Account / Premium paying Account.
- d) Also ensure that Pension paying Account / Premium paying Account is not frozen for KYC noncompliance.
- e) Details to be provided at the time of submitting online option:
- Spouse (Name and Date of Birth), (Require for Family Floater)
  - Account number and IFSC code of Branch
  - Email Address and Mobile No
  - Full Address with District, State, Pin Code for any communication.
  - Choose correct option.
- f) The premium as per the Option exercised will be debited on **29<sup>th</sup> November 2022**, from their Account which would be provided by them at the time of submission of the Option. **It is therefore advised that sufficient balance is kept in the given account.**
- g) Options submitted online will be treated as the authority to debit the account for premium amount.
- h) Once option is exercised online, NO further change would be allowed after **28<sup>th</sup> November 2022**
- i) Once the premium is debited, no change in option will be allowed.
- j) Please note NO HARD Copy of the renewal option need to be submitted at Head Office or any other Branch / Office.

If sufficient balance is not available on 29<sup>th</sup> November 2022 in your account, it will be presumed that you are not interested in Medical Insurance Policy and accordingly Renewal of Policy Will not be done.

**IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE MEDIAL INSURANCE OPTTEE TO ENSURE MAINTENANCE OF ADEQUATE BALANCE FOR DEBITING THE PREMIUM AMOUNT.**

For any further clarification please email at: [medicalinsurance.ho@bankofbaroda.com](mailto:medicalinsurance.ho@bankofbaroda.com)

  
(Swapna Bandopadhyaya)  
General Manager (HRM)

- Copy to:**
- All Branches / Offices in India for information with the request to display a copy of this notice on your notice board for benefit of all retired staff members.
  - All Branch Heads are advised to extend the "Special Personal Loan to BOB staff Pensioners", as per Annexure - B, to help them in payment of their Medical Insurance Policy renewal premium under the Scheme Code LA 664, during this extended period also.

Note: No hardcopy of Option form to be accepted at any Branch / Office.

- sd/-  
(Swapna Bandopadhyaya)  
General Manager (HRM)